**दहशत** | धनुआसागर के ग्रामीण परेशान, जनसुनवाई में भी नहीं हुई सुनवाई

# पोल्ट्री फार्म से बदबू व बीमारियों का खतरा

**डिंडौरी नवभारत 5 अगस्त।** विकासखंड अंतर्गत ग्राम धनुआसागर के पीपरटोला में संचालित एक पोल्ट्री फार्म को लेकर ग्रामवासी भारी परेशान हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पटवारी और उसके परिजनों द्वारा ग्राम में मुर्गी पालन किया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी, दुर्गंध और मक्खियों की भरमार हो गई है। इससे गांव में बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

ग्रामींणो ने बताया कि दुर्गंध के चलते खाना-पीना दूभर हो गया है और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। परेशान ग्रामीणों ने इस संबंध में दिनांक 15 जुलाई एवं 22 जुलाई को कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

### जांच पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल

सूत्रों के अनुसार, राजस्व निरीक्षक (आरआई) डिंडोरी 26 व 27 जुलाई को जांच के लिए ग्राम पहुंचे थे, किंतु ग्रामीणों का आरोप है कि आरआई ने केवल अनावेदकों से संपर्क कर एकतरफा लिखापढ़ी कर ली और बिना समुचित स्थल निरीक्षण के लौट गए। इससे ग्रामीणों में भारी असंतोष है और वे इस जांच को पक्षपातपूर्ण मानते हैं।ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पोल्ट्री फार्म की निष्पक्ष जांच कर इसे ग्राम से हटाया जाए, ताकि उन्हें दुर्गंध और बीमारियों से राहत मिल सके। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों की आर्थिक हैसियत अधिक होने के कारण वे गांव में दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, जिससे कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं।

### पोल्ट्री फार्म को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग

धनुआसागर के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के मद्देनजर तत्काल स्थल निरीक्षण कर पोल्ट्री फार्म को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों की एकजुट मांग है कि उन्हें स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके।

# शिक्षकों की दक्षता में हुआ उल्लेखनीय सुधार

**जीवन कौशल पाठ्यक्रम पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित**

**डिंडौरी नवभारत 5 अगस्त।** विगत दिवस मेहदवानी में जीवन कौशल पाठ्यक्रम पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना था, जिसमें जीवन कौशल पाठ्यक्रम की संरचना और उद्देश्य के बारे में प्रशिक्षकों ने शिक्षकों को जानकारी दी।

डेमो सत्र में प्रतिभागी शिक्षकों ने सत्र क्रमांक 2, 17 व 4 का संचालन किया और प्रशिक्षकों ने सत्र क्रमांक 6 और 11 पर प्रस्तुति दी। प्रशिक्षक गोविंद आंदवान, कन्हैया कुमार साहू और सुशील राय ने प्रशिक्षण दिया। विशेष सहयोग सक्षम योजना के जिला प्रबंधक महारन प्रताप सिंह और ब्लॉक प्रबंधक प्रवीण उपाध्याय और अनुराग दुबे ने सहयोग किया। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। वे अपने छात्रों को और अधिक प्रभावशाली ढंग से जीवन कौशल विषयक ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को व्यावहारिक व प्रेरणादायक बताया।

# जनसुनवाई में अधिकांश आवेदनों का निपटारा

**▶ कलेक्टर ने दिए विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश**

**डिंडौरी नवभारत 5 अगस्त।** मंगलवार को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर नेहा मारव्या की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में जिले भर से आए नागरिकों के 81 आवेदनों पर विचार किया गया। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया और जिन मामलों में तत्काल समाधान न सम्भव था, उन पर निश्चित समय-सीमा में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

आवेदन मुख्यत: आवारा मवेशियों के कारण फसल नुकसान, आगजनी के नुकसान की मुआवजा मांग, प्रधानमंत्री व सामाजिक सहायता योजनाओं के लंबित भुगतान, विद्युत आपूर्ति समस्या व नल-जल योजना के संचालकीय दोष से संबंधित थे। कलेक्टर ने संबंधित विभागों विद्युत, पंचायत, पीएचई व तहसील प्रशासन — को त्वरित जांच कर आवश्यक राहत एवं भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक सहित अन्य अफसर उपस्थित रहे; सभी आवेदनों का रिकॉर्ड कायम कर कर्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

## भगवान भोलेनाथ का किया रूद्राभिषेक

**चिल्हारी नवभारत 5 अगस्त।** जिले के पुलिस थाना इन्दवार एवं पुलिस चौकी अमरपुर में भगवान भोलेनाथ का रूद्राभिषेक विधि विधान से थाना प्रभारी गोविन्द सिंह, टीआई इन्दवार एवं पुलिस चौकी अमरपुर प्रभारी एसएन प्रजापति द्वारा समस्त स्टाफ के साथ पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद पुलिस थाना इन्दवार में विशाल भन्डारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण श्रद्धालुओं ने भगवान का प्रसाद ग्रहण कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया।

# मां नर्मदा मंदिर धर्मशाला पर किया गया अतिक्रमण

**समिति ने प्रशासनिक लापरवाही पर जताई नाराजगी, कलेक्टर को सौंपा शिकायत पत्र**

**डिंडौरी नवभारत 5 अगस्त।** नगर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित मेकलसुता मां नर्मदा मंदिर परिसर में स्थित सार्वजनिक धर्मशाला पर हुए कथित अतिक्रमण और मूर्ति निर्माण पंडाल के अवैध कब्जे को लेकर मंदिर समिति ने जिला प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मंगलवार को समिति ने जनसुनवाई में कलेक्टर को शिकायत पत्र देते हुए चार माह से लंबित कार्रवाई को लेकर रोष जताया है। समिति का आरोप है कि बबलू बर्मन, जो स्वयं को मूर्तिकार बताता है, ने मंदिर धर्मशाला पर जबरन कब्जा कर लिया है। समिति द्वारा इस संबंध में 4 अप्रैल 2025 को कलेक्टर डिंडौरी को शिकायत सौंपी गई थी, जिसके बाद नगर परिषद को मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रारंभिक जांच में कब्जे और अनुचित गतिविधियों की पुष्टि के बाद नगर परिषद ने तीन दिन का नोटिस तो जारी किया, लेकिन उसके बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

### जांच में हुई अवैध कब्जे की पुष्टि

समिति का कहना है कि बबलू बर्मन व उसकी पत्नी द्वारा मंदिर परिसर में शराब पीने, सुअर का मांस पकाने जैसे अमर्यादित कृत्य किए गए हैं, जिसकी लिखित शिकायत भी प्रशासन को सौंपी गई है। इसके बावजूद प्रशासनिक उदासीनता बनी हुई है। तहसील कार्यालय द्वारा की गई जांच में धर्मशाला की जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि भी की जा चुकी है और तहसीलदार ने नगर परिषद को प्रतिवेदन भी प्रेषित किया, लेकिन अब तक कोई निष्पादन नहीं हुआ। समिति ने आरोप लगाया कि नगर परिषद, एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार सभी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मामले को टाल रहे हैं।

### प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

समिति ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर और धर्मशाला को अतिक्रमण से शीघ्र मुक्त कराकर धार्मिक गतिविधियों की शुचिता और मर्यादा को बहाल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शासन इस धर्मशाला और मंदिर परिसर की रक्षा नहीं कर सकता तो सभी मूर्तियों को नर्मदा नदी में विसर्जित कर मंदिरों को समाप्त कर देना चाहिए। मंदिर समिति ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

## पुलिस ने 134 गुम मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए

डिंडोरी नवभारत 5 अगस्त। पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह ने रक्षाबंधन के पूर्व डिंडोरी की आम जनता को एक बड़ा तोहफा देते हुए 134 गुम हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटा दिए। जिनकी कुल अनुमानित कीमत 24 लाख बताई जा रही है। बरामद मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी और राहत स्पष्ट देखी गई। उन्होंने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की। बरामद किए गए मोबाइल फोन कोतवाली डिंडोरी 42, शहपुरा 27, समनापुर 25, गाड़ासरई 12, मेहंदवानी 11, करंजिया 11, बजाग 5 और शाहपुर 1 शामिल है। इन मोबाइलों की ट्रैकिंग और बरामदगी पोर्टल के माध्यम से की गई, जिसकी मदद से पुलिस ने गुम हुए मोबाइल्स को खोजकर वापस दिलाया।

# रोड की बदहाली पर विद्यार्थियों ने किया चकाजाम

**डेढ़ घंटे यातायात रहा बाधित, जनपद पंचायत मेहदवानी क्षेत्र का मामला**

**शहपुरा नवभारत 5 अगस्त।** जनपद पंचायत मेहदवानी अंतर्गत संचालित राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सोमवार को स्टेट हाईवे मेहदवानी-शहपुरा मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। खराब और कीचड़ से भरे कच्चे रास्ते से परेशान विद्यार्थियों ने लगभग डेढ़ घंटे तक मार्ग पर बैठकर आवागमन पूरी तरह रोक दिया। हालात तब सामान्य हुए जब मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार टीएल धुर्वे ने समझाइश देकर आंदोलन खत्म कराया।

छात्र शिव नारायण धूमकेती, घनश्याम मरकाम, अजय धुर्वे, धनेश परस्ते एवं संतोष यादव ने बताया कि कॉलेज को शिफ्ट हुए ढाई साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। तत्कालीन प्रभारी मंत्री मोहन यादव द्वारा कॉलेज भवन का लोकार्पण किया गया था। लेकिन मुख्य मार्ग से कॉलेज तक का लगभग 1 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग अब भी कच्चा ही है। बारिश में कीचड़ और फिसलन के कारण विद्यार्थियों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है।

### आवेदनों पर नहीं हुई सुनवाई

विद्यार्थियों का कहना है कि पंचायत से लेकर कलेक्टर तक आवेदन दिए, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर सड़क पर बैठना पड़ा। यह मार्ग न केवल कॉलेज के लिए बल्कि मॉडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी छात्रावास, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, आजीविका भवन और मिट्टी परीक्षण केंद्र जैसे कई शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों तक पहुंच का एकमात्र मार्ग है।

# अवैध कालोनाईजरों पर क्यों दर्ज नहीं हो रही एफआईआर?

**आखिर क्यों हो रही कलेक्टर के आदेश की नाफरमानी, 10-10 लाख रुपये का लगाया था जुर्माना**

**डिंडोरी नवभारत 5 अगस्त।** जिला मुख्यालय में बगैर अनुमति कृषि भूमि को भूखंडों में परिवर्तित कर विक्रय किये जाने के मामले में कलेक्टर के निर्देश की नाफरमानी करते हुये मुख्य नगर पालिका अधिकारी डिंडोरी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई, क्यों? यह जांच का विषय है। बता दें कि लगभग पंद्रह रोज पूर्व ही इस मामले में कलेक्टर ने अवैध प्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार भूमि स्वामियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया था कि वह इस मामले मे दोषी अवैध कालोनाइजर पर मामला दर्ज कराये। विगत कुछ वर्षों से जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों मे कृषि भूमि को बगैर डायवर्शन और कलेक्टर की अनुमति के बगैर ही छोटे-छोटे भू-खंडों में तैयार कर विक्रय किया जा रहा था, जो कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 और कॉलोनाइजर अधिनियम का खुला उलंघन है और 1984 के तहत ऐसी गतिविधियां गैरकानूनी हैं।

### इन पर होनी थी कार्यवाही

बगैर सक्षम स्वीकृति के जिन भू-स्वामियों के नाम सामने आये थे, उनमें लोकेश खैरवार निवासी डिंडोरी, भूमि स्वामी नितिल जैन निवासी डिंडोरी, भूमि स्वामी किरण खानूजा, आनंद खनूजा निवासी डिंडोरी, हरीशराज निवासी सुबखार, आशीष जैन निवासी डिंडोरी, भूमि स्वामी आरती कटारे निवासी डिंडोरी, अमीन अफजल निवासी डिंडोरी, पंकज कुमार जैन निवासी डिंडोरी, चेतु सिंह निवासी डिंडोरी के नाम सामने आये थे। बता दें कि उक्त मामले में ही तत्कालीन हल्का पटवारी और वार्ड प्रभारी, जिन्होंने समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कि थी, पर दो-दो हजार रूपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया था।

### शासन को हो रहा राजस्व का नुकसान

स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग से न केवल शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि अनियोजित कॉलोनियों के कारण बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी हो रहा है। प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। बहरहाल इस सम्बन्ध मे हमने थाना कोतवाली निरीक्षक दुर्गा प्रसाद नगपुरे से उनका कथन लिया तो उनका कहना था कि दास्तावेज अनुरूप वैधानिक कार्यवाही कि जायेगी।

**इनका कहना है**

न्यायालय का आदेश था, जिसका पालन किया जाना था, यदि पालन नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया। मैं इसकी जानकारी लेती हूं।

**नेहा मारव्या**
**कलेक्टर, डिंडोरी**

**घोटाला** | नगर परिषद अध्यक्ष, उपयंत्री, तत्कालीन सीएमओ और सप्लायरों पर फर्जी भुगतान का आरोप, कलेक्टर ने एसडीएम को सौपी जांच

# शहपुरा नगर परिषद में मुरुम बिछाने के नाम पर लाखों का घोटाला

**शहपुरा नवभारत 5 अगस्त।** नगर परिषद शहपुरा में मुरुम एवं डस्ट बिछाने के नाम पर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। स्थानीय नागरिक द्वारा जिलास्तरीय जनसुनवाई में दिए गए शिकायत पत्र में नगर परिषद अध्यक्ष शालिनी अरूण अग्रवाल, तत्कालीन प्रभारी सीएमओ, उपयंत्री, लेखापाल तथा तीन सप्लायरों की मिलीभगत से फर्जी भुगतान किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के बाद कलेक्टर डिण्डौरी ने एसडीएम को मामले के निराकरण की जवाबदारी सौंपी है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच नगर परिषद द्वारा मरम्मत कार्यों के नाम पर लाखों का आहरण किया गया, लेकिन धरातल पर कहीं भी कार्य नहीं हुआ। इसके बावजूद न केवल फर्जी मापन पुस्तिका तैयार की गई बल्कि बिना बिल के भुगतान भी कर दिए गए।

### तीन प्रकरण, एक ही पैटर्न

शिकायतकर्ता व्दारा दिये गये शिकायत पत्र में उल्लेखित है कि कामदगिरि इन्फ्रास्ट्रक्चर भोपाल को रूपये 94,221 का भुगतान किया गया, जबकि संचालक ने स्वयं स्वीकारा कि कोई कार्य नहीं किया गया। मे. श्रीराम कंस्ट्रक्शन को रू 72,483 का भुगतान किया गया। संचालक ने बताया कि उसने सिर्फ पर्चा दिया था, काम नहीं किया। महेश यादव नामक व्यक्ति को रू 73,901 का भुगतान किया गया। बिना किसी वास्तविक निर्माण के, मुरुम व डस्ट बिछाने की फर्जी नस्ती बनाई गई।

### नियमों को ताक पर रखा गया

शिकायत पत्र के अनुसार नप ने प्रस्तावों के लिए पार्षदों या आम जनता का कोई मांग पत्र संलग्न नहीं किया। कोटेशन प्रक्रिया में सभी कोटेशन एक ही हस्तलिपि से भरे गए और एक ही पैन कार्ड पर बनाए गए। बिना सार्वजनिक सूचना व बिना पंचनामा के कार्य स्वीकृत व भुगतान किए गए। निविदाएं न तो समिति के समक्ष खोली गईं और न ही उसमें जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।

### सप्लायरों का कबूलनामा बना साक्ष्य

शिकायत में उल्लेख है कि सप्लायरों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि न तो उन्होंने कोई कार्य किया और न ही भुगतान से उनका कोई लेना-देना है। वहीं एक ठेकेदार ने कहा कि उसका फर्म सिर्फ पर्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुछ ने खुलासा किया कि पार्षद या नगर परिषद के कर्मचारियों ने उनके नाम का दुरुपयोग किया।

### जांच और कार्यवाही की मांग

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, निकाय की सभी फाइलों की ऑडिट भी करवाई जाए। शिकायत के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को जांच सौंपी है। जांच के बाद ही सभी तथ्य सामने आ जाएंगे।

# दो साल से फरार चल रहे दो आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

**डिंडौरी नवभारत 5 अगस्त।** थाना कोतवाली डिंडौरी के दो प्रकरणों मे बीते दो वर्षों से फरार चल रहे आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वाहनी सिंह के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. अमित वर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सतीश द्विवेदी के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा गठित विशेष टीम को वर्ष 2023 के धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की तलाश में झारखंड भेजा गया था। टीम ने वांछित आरोपी बलेटर उर्फ बलेश्वर गुप्ता, आरोपी विशाल गुप्ता को झारखंड से 4 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय डिंडौरी में पेश किया।

### तीन महीने तक हाजिरी देगा आदतन अपराधी

**नवभारत, कटनी।** जिला दंडाधिकारी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने दुर्गा मंदिर के पास राबर्ट लाईन थाना माधवनगर निवासी अजय उर्फ अज्जू लालवानी पिता घनश्यामदास लालवानी (28) के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आने वाले तीन महीने तक हर महीने की 1 से 16 तारीख को पुलिस थाना माधवनगर में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।